

## विविध

### उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग-1

संख्या : 1878/9-आ-1-98/98

लखनऊ : दिनांक :16 मई, 1998

### /कार्यालय ज्ञाप/

राज्य सरकार के काम-काज में दक्षता एवं पारदर्शिता लाने की दृष्टि से मुख्यालय पर स्थित महत्वपूर्ण कार्यालयों में कम्प्यूटर नेटवर्क की स्थापना की जानी है। प्रदेश सरकार द्वारा एक परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत प्रदेश सरकार कगे प्रमुख विभागों में स्थापित किये जाने वाले नेटवर्क को प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित नेटवर्क से जोड़ा जायेगा। इस परियोजना के चालू हो जाने से महत्वपूर्ण सूचनायें कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध हो सकेंगीं और समीक्षा हेतु विवरण कम्प्यूटर के माध्यम से ही तैयार किये जा सकेंगे।

2. इसी क्रम में आवास विभाग क अधीन कार्यरत विभागों के क्रियाकलापों को कम्प्यूटर नेटवर्क के अन्तर्गत लाने की दृष्टि से एवं इस कार्य हेतु एक समूचित एक्शन प्लान तैयार करने हेतु एक कम्प्यूटर एडवाइजरी कमेटी का गठन सचिव, आवास की उध्यक्षता में किया जाता है। इस समिति के निम्न सदस्य होंगे :-

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. सचिव, आवास विभाग<br>उत्तर प्रदेश शासन।                                   | अध्यक्ष           |
| 2. डा0 सुशील कुमार शर्मा,<br>इन्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेन्ट (पूड) लखनऊ। | टेक्नीकल एक्सपर्ट |
| 3. डा0 राकेश गोयल,<br>नेशनल इन्फारमेटिक्स सेन्टर (छप) लखनऊ।                 | टेक्नीकल एक्सपर्ट |
| 4. श्री सुनील भटनागर,<br>इक्जीक्यूटिव सिस्टम्<br>लखनऊ विकास प्राधिकरण।      | सदस्य             |
| 5. श्री अनिल तिवारी,<br>सीनियर सिस्टम एनालिस्ट<br>आवास बन्धु।               | संयोजक            |

आज्ञा से,

अतुल कुमार गुप्ता  
सचिव

संख्या : 1878(1)/9-आ-1-98 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सम्बन्धित सदस्यगण।
2. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

रामबृक्ष प्रसाद  
संयुक्त सचिव

प्रेषक, **रामबृक्ष प्रसाद,**  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।  
सेवा में, **(1) आवास आयुक्त,**  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।  
**(2) आयुक्त**  
ग्रामीण आवास परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊं  
**(3) उपाध्यक्ष,**  
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 20 जून, 1998

**विषय : प्रदेश में निर्मित केन्द्रों की क्रियाशीलता बढ़ाये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने को निदेश हुआ है कि प्रदेश में निर्मित क्षेत्रों केन्द्रों के संबंध में उनकी गतिविधियों एवं अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु शासनादेश संख्या 381/9 "आ"-1/96 दिनांक 7 फरवरी, 1996 ख द्वारा राज्य निर्मिती केन्द्र समन्वय समिति का गठन किया जा चुका है। इन निर्मिती केन्द्रों के लिए हड़को द्वारा ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है, अतएव इन केन्द्रों की क्रियाशीलता बढ़ाने जाने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि इन निर्मिती केन्द्रों के क्रियाशील बनाने एवं गतिशीलता बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि इन केन्द्रों द्वारा भवन निर्माण कार्यक्रमों के उत्पादन पर लगाये गये प्रतिबन्ध को हटा लिया जाय।

2. कृपया तदनुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

**रामबृक्ष प्रसाद**  
संयुक्त सचिव

प्रेषक, **अतुल कुमार गुप्ता,**  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में, **1. उपाध्यक्ष,**  
विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, मुरादाबाद।  
**2. आवास आयुक्त,**  
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 24 जून, 1998

**विषय : शहर में कैटिल कालोनी की निर्माण।**

महोदय,  
प्रदेश के लगभग समस्त बड़े नगरों के बीच घनी आबादी में मवेशियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिससे नगरीय वातावरण प्रदूषित हो रहा है तथा मवेशियों के सड़कों पर घूमने से यातायात में अवरोध के साथ ही साथ मार्ग दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

2. इस समस्या के निराकरण हेतु यह आवश्यक है कि शहर की घनी आबादी से मवेशियों को स्थानान्तरित किये जाने के उद्देश्य से शहर की बाहरी परिधि पर "कैटिल कालोनी" का निर्माण किया जाये। कैटिल कालोनीका आदर्श प्रारूप आपके मार्गदर्शन हेतु संलग्न है।

3. अतः मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्थानीय नगर/निकाय तथा जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित किया जाय तथा मवेशियों को उपरोक्तानुसार अनिवार्यतः स्थानान्तरित कराने का निर्णय कराते हुए उसके क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक विकास प्राधिकरण द्वारा "कैटिल कालोनी" योजना को कार्यान्वित किया जाये।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

**अतुल कुमार गुप्ता**  
सचिव

संख्या-2373(1)/9-आ-1-1998 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1). सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी निकायों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- (2). समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारियों को इस आशय से कि अपने स्तर से बैठक कर आवश्यक निर्माण कराये जिससे योजना का क्रियान्वयन किया जा सके।

भवदीय,

**अतुल कुमार गुप्ता**  
सचिव

## कैटिल कालोनी

मानव भोजन में दूध का अत्यन्त महत्व है। नगरों में जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ दूध की आवश्यकताओं में भी निरन्तर वृद्धि हुई है। फलस्वरूप रोजगार पाने की नीयत से गाँव से "घोसियों" न नगरों की ओर तेजी से पलायन प्रारम्भ कर दिया है। सामान्य परिस्थितियों में दुग्ध का कारोबार कच्चा व्यवसाय माना जाता है जिसमें लाभ सीमित होता है अतः इस व्यवसाय से जुड़े अधिकतर लोग आर्थिक दृष्टि से दुर्बल श्रेणी में आते हैं। अतः व्यय कम करने की दृष्टि से ये दुधारू पशुओं को ऐसे स्थान पर रखने का प्रयास करते हैं जहाँ स्थान का कोई उपयुक्त पाते हैं तथा अधिकांशतः इन स्थानों पर अतिक्रमण करके पशुपालन एवं दुग्ध का व्यवसाय करते हैं जिससे समीपवर्ती स्थान का पर्यावरण तो प्रदूषित होता ही है साथ ही सड़कों पर छोड़े गये पशु यातायात में अवरोध के साथ ही साथ दुर्घटना का कारण भी बनते हैं।

### 1.कैटिल कालोनी की आवश्यकता :

शहर के मध्य में रह रहे मवेशियों से होने वाली गन्दगी वर्षा ऋतु में और भीषण रूप धारण कर जती है, कारण यह है कि एक तो वर्षा ऋतु में गोबर से कण्डे इत्यादि नहीं पथ पाते तथा दूसरे गोबर गीला होने के कारण खाद के रूप में खेतों तक नहीं पहुँच पाता है। ऐसे दशा में "घोषी" इसे नालों तथा सीवर में डाल देते हैं जिससे सीवर जाम हो जाते हैं इस योजना का कार्यान्वयन एक कठिन कार्य है। यह सत्य है कि मवेशियों के शहर के मध्य में रहने से समीपवर्ती निवासियों को अत्याधिक असुविधा होती है परन्तु समाज का बड़ा वर्ग अभी यही चाहता है कि यथा सम्भव शुद्ध एवं ताजा दूध वह अपनी आँखों के सामने ही दूहा कर ले।

### 2.सामाजिक दृष्टिकोण :

नगरों में योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है कि उसमें कैटिल कालोनी नगर की परिधि सीमा की प्रत्येक दिशा के मुख्य मार्ग पर स्थापित की जाये जिससे सम्बन्धित घोसियों को अपने दूध विक्रय क्षेत्र तक यात्रा समय की बचत हो और साथ ही स्वयं भी शहरी लोग अपनी संतुष्टि का दूध लेने के लिए इन कालोनियों तक आसानी से पहुँच सकें।

### 3.स्थल का चयन :

कैटिल कालोनी हेतु ऐसे स्थल चयनित किये जाने का प्रस्ताव है जो शहर से बहुत दूर न हो तथा आवागमन की समुचित व्यवस्था हो, जिससे दूधिया आसानी से अपना दूध साइकिल अथवा किसी सवारी से शहर के अपने व्यवसाय क्षेत्र में शीघ्र एवं आसानी से पहुँच सकें। इसके साथ ही उस क्षेत्र में चारागाह की सुविधा भी आवश्यक है जहाँ पशुओं के लिए पीने के पानी तथा नहाने की समुचित व्यवस्था के साथ ही जल निस्तारण का उत्तम प्रबन्ध हो।

चूँकि इस व्यवसाय में अधिकतर व्यवसायी आर्थिक दृष्टि से दुर्बल श्रेणी में आते हैं अतः कालोनी में भूखण्डों की दर कम से कम तथा भुगतान आसान किशतों पर रखने का प्रस्ताव है। उल्लेखनीय है कि यदि कैटिल कालोनी के विकास का स्तर अधिक सुविधायुक्त रखा जावेगा तो मवेशियों के लिए बनाई गई कैटिल कालोनी बहुत ही शीघ्र मानव आवासीय कालोनी में परिवर्तित हो जायेगी। लखनऊ की राधाग्राम तथा गाजियाबाद का नन्दग्राम इसके ज्वलन्त उदाहरण है। अतः इसके लिए आन्तरिक विकास आवश्यक मूलभूत सुविधाओं तक सीमित रखा जाना चाहिए तथा यथा सम्भव ग्राम समाज से प्राप्त भूमि का उपयोग किया जाना अधिक उपयुक्त होगा।

### 4.वैकल्पिक ऊर्जा का अतिरिक्त स्रोत :

शहर में विद्युत व्यवस्था की कठिनाई को देखते हुए इन कालोनियों में विद्युत उत्पादन गोबर गैस क उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी प्रस्ताव है। ऐसा करने से प्रदूषण तो कुछ हद तक रोका भी जा सकेगा साथ ही खेती के कार्यों में खाद के लिए गोबर को बचाया जा सकेगा। गोबर गैस प्लान्ट तथा इससे विद्युत के उत्पादन का कार्य एवं उसके रख रखाव को कार्य किसी निजी संस्था को दिया जाना अधिक उपयुक्त होगा। इसके लिए नेडा तथा सूडा से मिलने वाली सहायता का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए।

### 5.नये रोजगार का सृजन :

योजना को सफल बनाने के लिए कैटिल कालोनी में बसाये जाने वाले दूधियों के दूध की आपूर्ति की उचित व्यवस्था के लिए उनके व्यवसाय क्षेत्र में क्रियास्क बनाकर आसान किशतों पर उन्हें उपलब्ध कराने पर भी विचार किया जा सकता है। ऐसा करने से वे आसानी से अपने दूध तथा उससे बने अन्य पदार्थों का विक्रय इन स्टालों पर कर सकेंगे।

### 6.प्रस्तावित इन्फ्रास्ट्रक्चर :

इसी क्रम में हाल ही में आवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेश ने लखनऊ नगर में तकरोई ग्राम में 6.5 एकड़ की योजना तैयार की है इस योजना में 9 मीटर ग 16 मीटर 69 भूखण्ड रखे गये हैं तथा प्रत्येक भूखण्ड में लगभग 10 जानवर पाले जाने की व्यवस्था है। अतः अपनी गणना कैलिए इसी को आधार बनाया गया है योजना के अन्तर्गत घोसियों को केवल भूखण्ड एवं पहुँच मार्ग, जल आपूर्ति, सामुदायिक शौचालय एवं स्ट्रीट लाईट (जहाँ गोबर गैस प्लान्ट नहीं हो) की व्यवस्था के साथ-साथ क्षेत्र में एक "वेटनरी हॉस्पिटल" उपलब्ध कराने की व्यवस्था प्रस्तावित है। जानवरों का पालने के लिए शेड एवं नाँद तथा उसकी दैनिक आवश्यकताओं के लिए वांछित भूसा एवं चारा रखने के लिए स्टोर इत्यादि बनाने का दायित्व घोसियों को ही होगा। इसके साथ ही आवश्यकतानुसार चूनी,भूसी, खली, भूसा इत्यादि के व्यवसायियों की दूकानों के लिए योजना में केवल भूखण्डों की व्यवस्था की जाना प्रस्तावित है।

### **7.व्यवहारिक एवं परम आवश्यक तथ्य :**

कैटिल कालोनी के लिए स्थल के चयन के समय इस बात को विशेष रखा जाना प्रस्तावित है कि जानवर पालने तथा बाँधने के स्थान निकट ही चारागाह की समुचित व्यवस्था हो जहाँ जानवरों के पीने तथा नहाने के लिए पानी के अलग-अलग तालाबों की उचित व्यवस्था हो। जिससे कि जानवरों को चारागाह में वांछित व्यायाम मिल जावे। ऐसा न होने की दशा में "घोसी" जानवरों के स्वास्थ्य के लिए उन्हें सड़कों पर अवश्य टहलायेंगे। अतः यातायात अवरोध तथा गोबर फैलाने की समस्या बनी रहेगी। इसके साथ ही जैसाकि ऊपर प्रस्तुत किया जा चुका है योजना में विकास कास्तर केवल मूलभूत सुविधाओं तक ही सीमित रहना चाहिए अन्यथा मवेशियों के लिए बनाई गयी कालोनी को मानव कालोनी में परिवर्तित होने में अधिक समय नहीं लगेगा। योजना की कास्टिंग गणना साथ में संलग्न है।

#### **इक्लामिक्स**

(अ) ग्राम तकरोई कैटिल कालोनी के अनुसार 690 मवेशियों के लिए = 21, 247 वर्ग मीटर  
वांछित क्षेत्रफल प्रति मवेशी वांछित क्षेत्र 5000 मवेशियों के लिए = 21,247/690 = 31 वर्ग मीटर  
= 31\*5000= 1,55,000 वर्ग मीटर  
अर्थात् 1,60,000 वर्ग मीटर

उक्त के अतिरिक्त 10 एकड़ चारागाह हेतु भूमि प्रस्तावित है इस प्रकार अर्थात् 40 एकड़  
5000 मवेशियों के लिए वांछित क्षेत्र = 40\*10 एकड़

(ब) योजना में भूखण्डों की कास्टिंग

भूखण्ड की कीमत = 144 वर्ग मीटर / 550/- = रू0 79,000/-

भूखण्ड पर 10 मवेशी बंध सकते हैं अतः प्रति मवेशी दर = 69,000/10=रू0 7, 900/- प्रति मवेशी

यदि 5000 मवेशियों की योजना बनाई जाती है तो कुल व्यय

= 5000 / 7900/-

= 3,95,00,000/-

इस प्रकार से 5000 मवेशियों की कैटिल कालोनी पर व्यय रू0 3, 95 करोड़

10 एकड़ चारागाह पर व्यय = रू0 0.48

कुल व्यय = रू0 4.43 ए

= 5 करोड़

**कैटिल कालोनी के विरुद्ध कार्यों की अनुमानित लागत तथा उसके आधार पर विक्रय मूल्य का विवरण**

इसमें सामान्य मिट्टी का कार्य स्थल की स्थिति के अनुसार किया जायेगा। वर्तमान में सामान्यतः रू0 40,000.00 प्रति एकड़ लागत आ रही है। सड़के 9 मीटर तथा 6 मीटर की होगी तथा उनमें 3.6 मीटर खंडजा लगाया जायेगा। सड़कों के दोनों ओर आयताकार पक्की नलियाँ निर्मित की जायेगी। बिजली केवल मार्ग प्रकाश हेतु दी जायेगी। प्रत्येक 500 भूखण्डों पर एक सामुदायिक केन्द्र तथा एक पशु चिकित्सालय हेतु जगह की व्यवस्था की जायेगी जिसके अनुसार विक्रयशील भूमि का प्रति वर्ग मीटर का विवरण निम्नवत है :-

क्र०सं०	कार्य का विवरण	कार्य की लागत	सेन्टेज 22:	कुल लागत
1.	भूमि अर्जन 55: भूमि उपयोग	194.00	43.00	237.00
2.	विकास कार्य			
2.1	सामान्य मिट्टी का कार्य	18.00	4.00	22.00
2.2	खंडजा सड़क	29.00	6.00	35.00
2.3	जलापूर्ति (टयूब वेल तथा भूमिगत पाईप द्वारा)	62.00	14.00	76.00
2.4	नालियाँ तथा व्यवस्था	27.00	6.00	33.00
2.5	मार्गीय प्रकाश व्यवस्था	23.00	5.00	28.00
7.6	आन्तरिक विद्युतीकरण	31.00	6.00	37.00
2.7	वाह्य विद्युतीकरण ट्रान्सफार्मर आदि	32.00	5.00	28.00
2.8	अन्य विकास कार्य			
2.9	वृक्षारोपण अन्य जन सुविधायें	20.50	4.00	25.00
2.10	सामुदायिक शौचालय	21.00	4.00	25.00

योग :: 546.50

प्रति मीटर विक्रय मूल्य = भूमि. सामान्य विकास =

$$(1). (2) = 237. 309.50 = 546. 50$$

अर्थात् रू0 550.00 प्रति वर्ग मीटर

विक्रय मूल्य प्रति वर्ग मीटर = रू0 550.00

प्रेषक, **जे०एस० मिश्र,**  
सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में, **मुख्य नगर अधिकारी**

लखनऊ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर एवं मुरादाबाद।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक : 21 जुलाई, 1998

**विषय : शहर में कैटिल कालोनी का निर्माण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आवास अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या : 2373/9-आ-1-1998 दिनांक 24.06.98 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहर में मवेशियों की बढ़ती संख्या से उत्पन्न समस्या के निराकरण हेतु शासन द्वारा शहर की घनी आबादी से मवेशियों को शहर की बाहरी परिधि में कैटिल कालोनी बनाकर स्थानन्तरित करने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में कैटिल कालोनी हेतु स्थल चयन एवं उसके विकास हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जा रही है। चूंकि मवेशियों को शहर के मध्य से हटाना नगर निकाय के अधिकार क्षेत्र में निहित है। अतएव इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने एवं विकास प्राधिकरण उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद के अधिकारियों से निकट समन्वय रखते हुए, उनको अपेक्षित सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित किया जाय।

2. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० नगर निगम अधिनियम, 1959 के प्राविधानों के अनुसार नगर के विकास के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं, विशेष रूप से अध्याय-10,11,12,15, व 16 में उल्लिखित सुविधाओं को उपलब्ध कराने की दिशा में भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्न : यथाक्त।

भवदीय,

**जे०एस० मिश्र**  
सचिव

संख्या-2911ए(1)/9-7-98,तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, आवास विभाग, उ०प्र० शासन।
2. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ/आगरा/कानपुर/इलाहाबाद/वाराणसी/मेरठ/अलीगढ़/बरेली/गाजियाबाद/गोरखपुर एवं मुरादाबाद।
3. आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

**चन्द्र प्रकाश मिश्र**  
संयुक्त सचिव

प्रेषक, **श्री अतुल कुमार गुप्ता,**  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।  
सेवा में, **1. उपाध्यक्ष,**  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।  
**2. आवास आयुक्त,**  
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 26 जून, 1998

**विषय : उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन करार द्वारा प्रतिकर की अवधारण अधिनिर्णय किया नियमावली, 1997 के अन्तर्गत भूमि अर्जन करना।**

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भू-अर्जन अधिनियम, 1894 व उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद की योजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के अनेक प्रक्रमों पर विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण भूमि पर कब्जा प्राप्त होने में अत्यन्त विलम्ब होता है। उक्त अधिनियम की धारा-18 एवं 28 ए में प्रतिकर की धनराशि माननीय जिला न्यायालयों वा जिलाधिकारी द्वारा बढ़ा दिये जाने के कारण डिक्रीटल प्रतिकर की धनराशि भारी मात्रा में बकाया हो गयी है जिस कारण जहाऊ एक ओर प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति कुप्रभावित हुई है वहीं पर विभिन्न न्यायालयों में अनेक वाद भी लम्बित हो गये हैं और उसके फलस्वरूप अधिग्रहीत भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं हो सका है। मुकदमेबाजी की इस जटिल प्रक्रिया से बचने के लिए समझौते के आधार पर भूमि का क़य करने के लिए पूर्व में शासनादेश संख्या-यू0ओ0 185/9-आ-3-11 वि0/93, दिनांक 16 अगस्त, 1993 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं :-

(2) राजस्व विभाग द्वारा इसी विषय में उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन (करार द्वारा प्रतिकर की अवधारणा अधिनियम किया जाना) नियमावली, 1997 (प्रति संलग्न) जारी की गयी है। उक्त नियमावली के अनुसार अर्जन निकाय भू-अर्जन की कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर भूमि के निबन्धन और शर्तें तथा दरों को भू-स्वामियों के साथ आपसी करार द्वारा निर्धारित किए जाने का प्राविधान है। इस सम्बन्ध में, शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह भी निर्णय लिया गया है कि राजस्व विभाग द्वारा जारी की गयी उक्त नियमावली के अधीन भूमि समझौते के आधार पर प्राप्त किए जाने के लिए अनिवार्य रूप से प्रयास किया जाय।

अतः इस, सम्बन्ध में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि समझौते के समय भूमि की दरों का निर्धारण आवास अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-यू0ओ0 195/9 आ-3-11 वि/93, दिनांक 16 अगस्त, 1993 में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ही किया जाय और इस दर पर मण्डलायुक्त का अनुमोदन प्राप्त किया जाय। यदि समझौते के अन्तर्गत भूमि धारा-11 भूमि अध्याप्ति अधिनियम के अन्तर्गत एवार्ड के माध्यम से अधिग्रहण की जानी हो तो तत्संबंध में ऐग्रीमेन्ट राजस्व अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-2382/97-2-4(1)-89 24 रा0-13 दिनांक 16 सितम्बर, 1997 के साथ संलग्न प्रारूप परही सम्पादित किया जाय। भूमि की दरों को निर्धारित करने हेतु गठित समिति में आवश्यकतानुसार किसी अन्य को सम्मिलित किया जा सकता है। यह भी निर्देशित किया जाता है कि धारा-4 भू-अर्जन अधिनियम की अधिसूचना जारी होने के पश्चात अनिवार्य रूप से समझौते के आधार पर भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया जाय। यदि समझौते के आधार पर भूमि प्राप्त किया जाना सम्भव न हो तभी धारा-6 की कार्यवाही की जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि समझौते के माध्यम से भूमि प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर न्यायालय में विवाद उठने की सम्भावना न रहे। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

**अतुल कुमार गुप्ता**  
सचिव

संख्या-1367(1)/9-आ-3-98 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1). समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (2). निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- (3). समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (4). राजस्व अनुभाग-13
- (5). उत्तर प्रदेश, आवास बन्धु लखनऊ।



आज्ञा से,

**एच० पी० सिंह**  
अनु सचिव

प्रेषक, श्री यज्ञवीर सिंह चौहान,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।  
सेवा में, 1. उपाध्यक्ष  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।  
2. नियंत्रक प्राधिकारी  
समस्त विनियमित क्षेत्र,  
उत्तर प्रदेश।  
3. आयुक्त,  
आवास एवं विकास परिषद,  
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 7 जुलाई, 1998

विषय : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों पुरातत्वीय, स्थलों के निकट निर्माण कार्यों को निषिद्ध करना व विनियमन।

महोदय,

भारत सरकार के संस्कृति विभाग (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) नई दिल्ली, (पुरातत्व) की अधिसूचना संख्या 8/2/90 एम0 दिनांक 16.06.1992 के अनुसार संरक्षित स्मारकों/ पुरातत्वीय स्थलों के निकट या उससे लगी संरक्षित सीमाओं में 100 मीटर तक प्रतिषिद्ध क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का नवनिर्माण, खनन, खदान किया, उत्खनन, विस्फोट या इसी प्रकार की कोई संक्रिया नहीं की जा सकती है, चाहे वह उस भूमि का स्वामी या अधिभोगी क्यों न हो तथा उससे परे 200 मीटर तक विनियमित क्षेत्र में यदि कोई इस प्रकार कार्य व नियम 1959 के अध्याय-3 की धारा-10 को उपधारा (2) के अन्तर्गत तीन माह पूर्व अनुमति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र देना अनिवार्य है तथा उक्त अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण/विकास कार्य लिया जा सकता है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित स्मारकों/पुरातत्वीय स्थलों में प्रतिषिद्ध क्षेत्र एवं विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माण/विकास कार्य की अनुमति दिये जाने के पूर्व भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 16 जून, 1992 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

यज्ञवीर सिंह चौहान  
विशेष सचिव

संख्या-2173(1)9-आ-3-98 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव संस्कृतिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

एच.0 पी.0 सिंह  
अनुसचिव सचिव

**उत्तर प्रदेश सरकार**

आवास अनुभाग-3

संख्या : सी0एस0 53/9-आ-3-99-52/वि0/99

लखनऊ : दिनांक : 26 जुलाई, 1999

//कार्यालय ज्ञाप//

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि हैरीटेज स्थलों के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 17-7-99 को सम्पन्न हुई बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :

1. हैरीटेज से सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए हैरीटेज रेग्यूलेशन बनाये जाने व विभिन्न प्राधिकरण व अन्य एजेन्सीज द्वारा उनके क्रियान्वयन का कार्य आवास विभाग के पर्यवेक्षण में होगा। इस हेतु आवास विभाग नाडल विभाग होगा। हैरीटेज भवनों व स्थलों के चयन आदि के सम्बन्ध में नोडल विभाग सांस्कृतिक कार्य विभाग होगा।
2. हैरीटेज रेग्यूलेशन, उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 आर0बी0ओ0 एक्ट व म्यूनिसिपल एक्ट के अन्तर्गत प्रसारित किये जाने होंगे तथा उनका क्रियान्वयन क्रमशः विकास प्राधिकरण, विहित प्राधिकरण तथा नगर पालिकाएं करेंगी। हैरीटेज रेग्यूलेशन के समावेश के लिए यदि किसी अधिनियम में संशोधन करना हो तो उसकी भी व्यवस्था की जाय।
3. सर्वप्रथम यह रेग्यूलेशन लखनऊ के लिए बनाये जायें। रेग्यूलेशन को ड्राफ्ट करने हेतु ड्राफ्टिंग कमेटी बनाये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः हैरीटेज से सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए हैरीटेज रेग्यूलेशन बनाये जाने के प्रथम चरण में सर्वप्रथम लखनऊ के लिए हैरीटेज रेग्यूलेशन बनाये जाने हैं अतएव तदनुसार रेग्यूलेशन को ड्राफ्ट करने हेतु राज्यपाल महादय एतद द्वारा निम्नलिखित ड्रफ्टिंग कमेटी गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- |   |           |
|---|-----------|
| 1- मण्डलायुक्त एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण                              | - अध्यक्ष |
| 2- सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि जो निदेशक स्तर से कम न हो | - सदस्य   |
| 3- सचिव, पर्यटन अथवा उनका प्रतिनिधि जो निदेशक स्तर से कम न हो                 | - सदस्य   |
| 4- विधायी विभाग के प्रतिनिधि  | - सदस्य   |
| 5- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक   | - सदस्य   |
| 6- पुरातत्व विभाग, भारत सरकार के प्रतिनिधि                                    | - अध्यक्ष |

प्रश्नगत प्रकरण पर मुख्य सचिव महोदय स्तर पर आगामी बैठक दिनांक 10 सितम्बर, 1999 को की जायेगी। अतः समिति से यह अपेक्षा की जाती है कि ड्राफ्ट रेग्यूलेशन 20 अगस्त 1999 तक तैयार कर आवास विभाग को उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

भवदीय,

**योगेन्द्र नारायण**  
मुख्य सचिव

संख्या : सी.एस.-53/9आ-3-99-52 वि/99 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मण्डलायुक्त एवं अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
2. सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. सचिव, पर्यटन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधायी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, 7- बन्दरिया बाग, लखनऊ।
6. सचिव, नगर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

आज्ञा से,

**यज्ञवीर सिंह चौहान**  
विशेष सचिव

प्रेषक, श्री अतुल कुमार गुप्ता,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।  
सेवा में, 1. आयुक्त,  
आवास एवं विकास परिषद,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
2. उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,

आवास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक : 17 जुलाई, 1998

विषय : शासकीय कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, सूचना के अधिकार एवं सूचना तक पहुँच के संबंध में "सूचना केन्द्र" की स्थापना किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने एवं सूचना का अधिकार जनसामान्य तक पहुँचाने हेतु यह आवश्यक है कि सूचना केन्द्रों की स्थापना की जाय। अतः उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्यालय पर इस प्रकार के सूचना केन्द्र स्थापित किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। 2- उक्त सूचना केन्द्रों पर जनसामान्य की रुचि की योजनाओं व कार्यों की अद्यावधिक सूचनायें उपलब्ध होंगी और उक्त सूचना केन्द्रों से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकेगा। उक्त सूचना केन्द्रों पर निम्नलिखित सामग्री मुद्रित रूप में अथवा कम्प्यूटर पर उपलब्ध रहेगी :-

1- विभिन्न योजनओं में उपलब्ध अनावंटित सम्पत्तियों के ब्यौरे (उनके अनुमानित मूल्य सहित)।

2- संपत्तियों के आवंटन विषयक नियमावली तथा संबंधित शासनादेशों/आदेशों का संकलन।

3- जनसामान्य से संबंधित विषयों पर शासनादेशों का संकलन।

4- गत दो वर्षों में तथा वर्तमान वर्ष में निष्पादित किये जाने वाले उन कार्यों की सूची निके विषय से स्वीकृति हुई हो, भूगतान हुआ हो। इन कार्यों का यथावश्यक ब्यौरा भी उपलब्ध हों।

5- अन्य ऐसी सूचनायें जो जनसाधारण के रुचि की हों।

आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाय तथा अनुपालन आख्या शासन को तुरन्त प्रेषित की जाय।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता  
सचिव

संख्या-1432(1)/9-न0भू0-98 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. श्री एन0आर0 वर्मा, अपर निदेशक, आवास बन्धु उ0प्र0 लखनऊ।
7. श्री आर0 के0 सिंह, अनु सचिव, आवास विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. आवास विभाग के समस्त अनुभाग।
9. अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु।

आज्ञा से,

शिशिर कुमार यादव  
अनु सचिव



प्रेषक, **श्री रामबृक्ष प्रसाद,**  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।  
सेवा में, **उपाध्यक्ष,**  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।  
आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक :23 सितम्बर, 98

**विषय : पारदर्शिता सुनिश्चित किए जाने हेतु समस्त कार्यों की सूची का उपलब्ध कराया जाना।**

महोदय,

जनहित में हो रहे सभी कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु प्रदेश सरकार कृत संकल्प है, इसके लिए समय-समय पर निदेश शासन द्वारा जारी किए जाते रहे हैं और उनके अनुपालन की अपेक्षा भी की जाती रही है। इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों के द्वारा जा भी कार्य प्रारम्भ कराये जायें, उसकी सूचना का ब्यौरा प्रत्येक माह विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले विधान सभा/विधान परिषद एवं संसदीय क्षेत्र से संबंधित विधान सभा/विधान परिषद सदस्य तथा सांसद गणों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्यों की सूची आदि का विवरण विकास प्राधिकरण कार्यालय में भी उपलब्ध रहें, ताकि माँगे जाने पर उसे अनप्रतिनिधियों तथा अन्य को उपलब्ध कराया जा सके।

कृपया उपरोक्त निदेशों तक कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

**रामबृक्ष प्रसाद**  
संयुक्त सचिव

---

प्रेषक, श्री अतुल कुमार गुप्ता,  
सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।  
सेवा में, उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।  
आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 29 सितम्बर, 1998

**विषय : विकास प्राधिकरणों की योजनाओं के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों का सहयोग मार्गदर्शन प्राप्त करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के आदेश संख्या :5622 / 9-आ-1-97, दिनांक : 28 नवम्बर, 1997 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हमाननीय जन प्रतिनिधियों के साथ प्रति माह बैठक अवश्य कर ली जाय तथा इसकी सूचना बोर्ड बैठक में रखी जाय।

2- कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करया जाय।

भवदीय,

**अतुल कुमार गुप्ता**  
सचिव

---

प्रेषक, श्री अतुल कुमार गुप्ता,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।  
सेवा में, 1. आवास आयुक्त,  
उ.प्र. आवास एवं विकास प्राधिकरण, लखनऊ।  
2. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।  
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक  
नगर एवं ग्राम नियाजन विभाग, उ.प्र. लखनऊ।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 16 नवम्बर, 1998

विषय : जनहित याचिका संख्या 2155/97 राकेश कुमार जैसवाल बनाम राज्य सरकार।  
महोदय,

उपरोक्त विषय पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि :-

1. गंगा नदी पर किनारे बसे नगरीय क्षेत्र में विकसित होने वाली कालोनियों के तलपट मानचित्रों के अनुमोदन से पूर्व यह सुनिश्चित होना आवश्यक है कि कालोनी के सीवर तथा ड्रेनेज से नदी प्रदूषित न हो तथा ट्रीटमेन्ट के पश्चात ही से नदी में छोड़ा जाय।
- 2- ऐसे नगरों में नदी से 200 मीटर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि अनुमन्य न की जाए।
- 3- उक्त निर्णय निजी निर्माताओं के साथ-साथ आवास विकास परिषद तथा प्राधिकरणों पर भी शासन रूप से लागू होगा। अतः मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि शासन के उक्त निर्णय का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।  
यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

भवदीय,  
अतुल कुमार गुप्ता  
सचिव



प्रेषक, श्री अतुल कुमार गुप्ता,  
सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।  
सेवा में, उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक : 11 मार्च, 1999

**विषय : पीलिया रोग से बचाव हेतु समुचित एवं शुद्ध पेयजल व्यवस्था।**

महोदय,

समाचार-पत्रों के माध्यम से शासन के संज्ञान में यह बात प्रकाश में आ रही है कि शुद्ध एवं समुचित मात्रा में क्लोरीन युक्त पानी की सप्लाई न होने के कारण पीलिया रोग से काफी जनमानस प्रभावित हो रहा है और इस रोग से कई लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हुए हैं। यह स्थिति अत्यंत चिंतनीय है।

2- उपरोक्त को देखते हुए मुझे आपसे कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में संचालित ट्यूबवेल, पानी की टंकी से जाने वाली जलापूर्ति की समुचित सफाई करायें और पर्याप्त मात्रा में क्लोरीन युक्त पानी की आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें। सफाई एवं क्लोरीनयुक्त पानी की आपूर्ति की जिम्मेदारी उपाध्यक्ष, प्राधिकरण की होगी। समय-समय इसका अनुश्रवण भी अपने स्तर पर करते रहें।

भवदीय,

**अतुल कुमार गुप्ता**  
सचिव

## उत्तर प्रदेश शासन

आवास अनुभाग-5

संख्या : 1109/9-आ-5-99-45 ई/99

लखनऊ : दिनांक : 31 मार्च, 1999

//कार्यालय ज्ञाप//

प्रशासन को नई दिशा देने के लिए उसकी गुणवत्ता में सुधार लाने एवं शासन के निर्णयों को विशिष्ट अभिमत पर आधारित कर उसे जन आकांक्षाओं के अनुरूप पारदर्शी, सरल एवं स्वीकार्य बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक विभाग में एक नीति निर्धारण प्रकोष्ठ का गठन किये जाने के राज्य सरकार के निर्णय से सम्बन्धित प्रशासनिक सुधार विभाग के शासनादेश संख्या-1540/43-3-98-14/2(16)/98, दिनांक 16 जुलाई, 1998 में निहित निर्देशानुसार आवास विभाग में नीति निर्धारण प्रकोष्ठ के गठन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त प्रकोष्ठ में अधोलिखित सदस्य होंगे :-

- |       |   |   |             |
|-------|---|---|-------------|
| (1).  | सचिव, आवास विभाग  | - | अध्यक्ष     |
| (2).  | आवास आयुक्त,<br>उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ   | - | सदस्य       |
| (3).  | श्री पंकज अग्रवाल,<br>आ.ए.एस.   | - | सदस्य       |
| (4).  | श्री एम. पी. अनेजा,<br>मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक   | - | सदस्य       |
| (5).  | श्री एस.के. गर्ग,<br>प्राइवेट बिल्डर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि                                      | - | सदस्य       |
| (6).  | श्री विनय राय,<br>अध्यक्ष एवं सह प्रबन्ध निदेशक, ऊषा टेलीकाम,                                     | - | सदस्य       |
| (7).  | श्री टी0एन0 धर,<br>आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)   | - | सदस्य       |
| (8).  | श्री प्रो. एस.के. शर्मा,<br>मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम   | - | सदस्य       |
| (9).  | आई.आई.एम., लखनऊ<br>श्री ए.के. मैत्रा, निदेशक<br>स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर,<br>नई दिल्ली। | - | सदस्य       |
| (10). | श्री वीरेश कुमार,<br>विशेष सचिव,<br>आवास विभाग।   | - | सदस्य, सचिव |

3- नीति निर्धारण प्रकोष्ठ विभाग की एक आन्तरिक परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करेगा, जिसका कार्यक्षेत्र विभाग को आवंटित कार्यो तक सीमित होगा। नीति निर्धारण प्रकोष्ठ मुख्यतया वैभागीक योजनाओं/कार्यक्रमों व उसकी प्रक्रियाओं पर सरकार के इंगित रखने, संशोधन करने अथवा नयी नीतियों/कार्यक्रमों को निरूपति कर लागू करने और उससे सम्बद्ध मामलों पर संस्तुति दे सकेगा।

4- नीति निर्धारण प्रकोष्ठ सामान्यतः त्रैमासिक बैठक करेगा तथा प्रत्येक बैठक की सूचना न्यूनतम 07 दिन पूर्व समस्त सदस्यों को भेजी जायेगी। अध्यक्ष की अनुमति से प्रकोष्ठ की बैठक आवश्यकतानुसार निर्धारित समय के पूर्व आहुत की जा सकेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक बैठक की सूचना के साथ विचारणीय बिन्दु भी सदस्यों को उपलब्ध करा दिये जायं ताकि विषयवस्तु के बारे में सदस्यों से रूपमत प्राप्त किया जा सके।

5- राज्यपाल महोदय ने वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-20 (बी) के अन्तर्गत यह आदेश दिये हैं कि उक्त प्रकोष्ठ के ऐसे गैर सरकारी सदस्य, जो कि उस स्थान के स्थानीय निवासी नहीं हैं, जहाँ प्रकोष्ठ की बैठक होती है अथवा होगी, को प्रकोष्ठ की बैठक में शामिल होने के लिए की गई यात्राओं तथा पड़व के लिए नियमानुसार रू0 2700/- से 4.999/- प्रतिशत पुराने वेतनमान के आधार पर वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को देय दर से यात्रा तथा दैनिक भत्ते दिये जायेंगे।

5- उपरोक्त नियम के नोट-3(1) के अपवाद के प्राविधान के अधीन रहते हुए यह भत्ते इन लोगों को उनके सामान्य निवास स्थान से प्रकोष्ठ की बैठक के स्टेशन तक तथा वापसी की यात्राओं के लिए देय होंगे। यदि यात्रा के समय रेलवे रियायती दर पर टिकट देती है, तो यात्रिक भत्ता रेल के वास्तविक किराये व उक्त श्रेणी को वेतन सीमा के सरकारी सेवकों को देय प्रासंगिक व्यय के बराबर होगा। यदि कोई गैर सरकारी सदस्य, विधान मण्डल या संसद का सदस्य भी है तो उसे रेल यात्रा करने के लिए रेल किराया नहीं मिलेगा बल्कि उक्त आदेशानुसार केवल प्रासंगिक व्यय देय होगा, क्योंकि उनको रेल यात्रा के लिए कूपन/पास मिलते हैं। यात्रिक या दैनिक भत्ता उक्त नियम के नीचे अंकित नोट-1 से 4 तक के प्राविधानों के अधीन होगा।

उक्त गैर सरकारी सदस्यों को प्रश्नगत व्यय का भुगतान विभागीय बजट से किया जायेगा।

आज्ञा से,

**अतुल कुमार गुप्ता**  
सचिव

प्रष्ठांकन संख्या : 1109(1)9-आ-5-99, तद दिनांक  
प्रतिलिखित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. नीति निर्धारण प्रकोष्ठ के समस्त सदस्यगण।
3. प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
4. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0/अध्यक्ष, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
5. महामहिम श्री राज्यपाल के सचिव।
6. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
9. निजी सचिव, मा0 आवास मंत्री जी, आवास विभाग।
10. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, आवास विभाग।
11. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
13. प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1

आज्ञा से,

**वीरेश कुमार**  
विशेष सचिव

---

प्रेषक, श्री अतुल कुमार गुप्ता,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,

नगर भूमि सीमारोपण, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

2. मण्डलायुक्त,

लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, गोरखपुर, बरेली, सहारनपुर, एवं गढ़वाल।

3. जिलाधिकारी,

लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, देहरादून, गोरखपुर, बरेली, सहारनपुर, एवं अलीगढ़।

4. सक्षम प्राधिकारी,

नगरभूमि सीमारोपण,

लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, देहरादून, गोरखपुर, बरेली, एवं अलीगढ़।

आवास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक : 31 मार्च, 1999

**विषय : नगरभूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम, 1976 के निरसन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम, 1976 का केन्द्र सरकार द्वारा जारी नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) निरसन अध्यादेश, 1999 (अध्यादेश संख्या 5 सन 1999) दिनांक 11 जनवरी, 1999 के द्वारा निरसित हो जाने एवं उक्त केन्द्रीय अध्यादेश (अध्यादेश संख्या 5 सन 1999) को भारत का संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (2) के अनुसरण में उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा संकल्प द्वारा अंगीकार कर लिए जाने के फलस्वरूप उक्त नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) निरसन अध्यादेश 1999 को धारा-1 को उपधारा (2) के प्राविधान अनुसार उत्तर प्रदेश में भी 18 मार्च, 1999 से लागू हो गया है।

2. उपर्युक्त नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) निरसन अध्यादेश, 1999 दिनांक 11 जनवरी 1999, जिसे राज्य विधान मण्डल द्वारा अंगीकार किया जा चुका है, की (प्रतिलिपि संलग्न) प्रेषित करते हुए मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त निरसन अध्यादेश लागू हो जाने के फलस्वरूप अन्य अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि (अध्यादेश)

भवदीय,

**अतुल कुमार गुप्ता**  
सचिव

संख्या-502(1)/9न0भू099 तददिनांक

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हतु प्रेषित :

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2. प्रमुख सचिव, न्याय/विधि परमर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।

3. निदेशक, सूचना निदेशालय को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया उक्त निर्णय क जानकारी से सर्व साधारण को समाचार पत्र के माध्यम से अवगत कराने का कष्ट करें।

4. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ।

5. निदेशक, उद्योग/पदेन विशेष सचिव, आवास उद्योग निदेशालय, कानपुर।

6. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी/आवास मंत्री जी/राज्य मंत्री जी आवास विभाग।

7. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।

8. आवास विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

9. शासन के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

**वीरेश कुमार**  
विशेष सचिव

# जीम क्मंजजम वऱिदकपं

असाधारण

मज्ज |क्वप्फ |त्त

भाग ष- खण्ड 1

च।त्त ष. मैमबजपवद 1

प्राधिकरण से प्रकाशित

चन्तरैभ्म्व ठल् |न्ज्भत्तज्ज

सं. 15,

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 11, 1999/ पौष 21, 1920

छत्त 15,

छम् क्मस्म्य् डक्क |त्त श्र |छन् |त्त 11ए 1999ध्च।नै। 21ए1920

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

क्मंतंजम चंहपदह पे हपअमद जव जीपे च्ताज पद वतकमत जीज पज उंल इम पिसमक ँ ँ मचंतंजम बवउचपसंजपवदण

डक्कप्फत्त ७ सँए श्रैज्ज्ज |छक् बड्च।छल् |थ्।पै

; स्महपेसंजपअम क्मचंतंजउमदजद्ध

छमू क्मसीप जीम 11जी श्रंदनंतलए 1999ध् च्नें 21ए 1920 ँ;द्ध

ज्ज्ज न्त |छ स।छक् ;भ्मप्फळ |छक् त्ठन्-|ज्ज्जद्ध त्त्त्र |र

क्वप्फ |छम्ए 1999

;छवण 5 ७ 1999द्ध

क्ववउनसहंजमक इल जीम च्त्तमेपकमदज पद जीम थ्वतजल.दपदजी ल्मंत वऱिजीम त्मचनइसपबब वऱिदकपं

|द व्त्तकपदंदबम जव तमचमंस जीम न्तइंद स्दक ;भ्मपसपदह दक त्महनसंजपवदद्ध |बजए 1976 ँभ्त्तमै पज पे

बवदेपकमतमक दमबमेंतल जव तमचमंस जीम न्तइंद स्दक ;भ्मपसपदह दक त्महनसंजपवदद्ध |बजए 1976ण

|छ। ँभ्त्तमै च्त्तसपंउमदज िं दव चवूमत जव उंम सूं वित जीम ँजंजमे पूजी तमेचमबज जव जीम वितमेंपक

उंजजमत मगबमचज च्त्तवअपकमक पद तंजपबसमे 249 दक 250 वऱिजीम ब्वदेजपजनजपवदय

|छक् ँभ्त्तमै पद चनतेनंदबम वऱिबसंनेम ;2द्ध वऱि तंजपबसम 252 वऱिजीम ब्वदेजपजनजपवद तमेवसनजपवदे िंअम

इममद चैमक इल जीम स्महपेसंजनतमे वऱिजीम ँजंजमे वऱिभ्तलंद दक चनदरंइ जव जीम म्मिबज जीज जीम

वितमेंपक बज वीवनसक इम तमचसंबमक पद जीवेम ँजंजमे इल च्त्तसपंउमदज इल सूंय

|छक् ँभ्त्तमै न्तइंद स्दक ;भ्मपसपदह दक त्महनसंजपवदद्ध त्मचमंस ठपससए 1998 िं इममद पदजतवकनबमक पद

क्ववउनसहंजमक इल जीम च्त्तमेपकमदज पे ँजपेपिमक जीज बमतबनदेजंदममे मगपेज

पूबी तमदकमत पज दमबमेंतल वित िपउ जव जांम पउउमकपंजम बजपवद जव हपअम म्मिबज जव जीम

क्ववउनसहंजमक इल जीम च्त्तमेपकमदज पे ँजपेपिमक जीज बमतबनदेजंदममे मगपेज

पूबी तमदकमत पज दमबमेंतल वित िपउ जव जांम पउउमकपंजम बजपवद जव हपअम म्मिबज जव जीम

क्ववउनसहंजमक इल जीम च्त्तमेपकमदज पे ँजपेपिमक जीज बमतबनदेजंदममे मगपेज

पूबी तमदकमत पज दमबमेंतल वित िपउ जव जांम पउउमकपंजम बजपवद जव हपअम म्मिबज जव जीम

क्ववउनसहंजमक इल जीम च्त्तमेपकमदज पे ँजपेपिमक जीज बमतबनदेजंदममे मगपेज

क्ववउनसहंजमक इल जीम च्त्तमेपकमदज पे ँजपेपिमक जीज बमतबनदेजंदममे मगपेज

पूबी तमदकमत पज दमबमेंतल वित िपउ जव जांम पउउमकपंजम बजपवद जव हपअम म्मिबज जव जीम

क्ववउनसहंजमक इल जीम च्त्तमेपकमदज पे ँजपेपिमक जीज बमतबनदेजंदममे मगपेज

पूबी तमदकमत पज दमबमेंतल वित िपउ जव जांम पउउमकपंजम बजपवद जव हपअम म्मिबज जव जीम

क्ववउनसहंजमक इल जीम च्त्तमेपकमदज पे ँजपेपिमक जीज बमतबनदेजंदममे मगपेज

पूबी तमदकमत पज दमबमेंतल वित िपउ जव जांम पउउमकपंजम बजपवद जव हपअम म्मिबज जव जीम

क्ववउनसहंजमक इल जीम च्त्तमेपकमदज पे ँजपेपिमक जीज बमतबनदेजंदममे मगपेज

पूबी तमदकमत पज दमबमेंतल वित िपउ जव जांम पउउमकपंजम बजपवद जव हपअम म्मिबज जव जीम

क्ववउनसहंजमक इल जीम च्त्तमेपकमदज पे ँजपेपिमक जीज बमतबनदेजंदममे मगपेज

पूबी तमदकमत पज दमबमेंतल वित िपउ जव जांम पउउमकपंजम बजपवद जव हपअम म्मिबज जव जीम

क्ववउनसहंजमक इल जीम च्त्तमेपकमदज पे ँजपेपिमक जीज बमतबनदेजंदममे मगपेज

पूबी तमदकमत पज दमबमेंतल वित िपउ जव जांम पउउमकपंजम बजपवद जव हपअम म्मिबज जव जीम



प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,

नगर निगम, सीमारोपण,

इन्दिरा भवन, लखनऊ।

2. जिलाधिकारी/सक्षम प्राधिकारी,

नगर भूमि सीमारोपण, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, बरेली, कानपुर, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, देहरादून।

आवास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक :14 सितम्बर, 1999

विषय :

उ0प्र0 राज्य से नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के निरसन के सम्बन्ध में महाधिवक्ता उ0प्र0 की राय से अवगत कराया जाना।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा निर्मित नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 को भारत सरकार द्वारा जारी नगर भूमि अधिनियम सीमा एवं विनियमन निरसन अध्यादेश, 1998 दिनांक 11 जनवरी, 1999 द्वारा निरसित किया गया था। उक्त अध्यादेश के पैरा-1(2) के प्राविधान के अनुसार उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद-252 (दो) के अन्तर्गत उस निमित्त दोनों विधान मण्डल से संकल्प पारित कराकर मूल अधिनियम 1976 को उ0प्र0 राज्य से दिनांक 18 मार्च, 1999 से निरसित कर दिया गया तथा इसकी सूचना कार्यवाही आदेश संख्या-502/9-न0भू-99-216 यू.सी./90 टी.सी, दिनांक 31 मार्च, 1999 द्वारा जारी कर दी गई थी।

2- बाद में भारत सरकार द्वारा जारी निरसन अध्यादेश के स्थान पर नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम-1999(अधिनियम संख्या-15) दिनांक 22 मार्च, 1996(संलग्न) में पुनर्स्थापित कर दिया गया है। इस अधिनियम की धारा 5(1) के प्राविधान से यह भ्रान्ति उत्पन्न हुई कि क्या 1976 के अधिनियम के निरसन अधिनियम 1999 की धारा 1(2) के अंतर्गत पुनः राज्य विधान मंडल द्वारा अंगीकृत कराना होगा। इस सम्बन्ध में महाधिवक्ता, उ0प्र0 की राय प्राप्त की गयी जो निम्न प्रकार है:-

बसनेम 1,2द्व वि जीम तमके नदकमत रू.

धप;2द्व प्ज चचसपमे पद जीम पितेज पदेजंदबम जव जीम विसम विजीमैजंजमे विभ्तलंद दक च्चदरंइ दक जव सस जीम न्दपवद जमततपजवतपमेय दक पज रीसस चचसल जव नेबी वजीमतैजंजम वीपबी कवचजे जीपे ।बज इल तमेवसनजपवद चैमक पद जीज इमीसिनदकमत बसनेम;2द्व वि तजपबसम 252 वि जीम ब्वदेजपजनजपवदण्

जीम बवदेमुनमदबम वि जीम तमेवसनजपवद चैमक इल जीम न्च मउइसलए चमत जीम इवअम चतवअपेपवद पे जीज चतवअपेपवदे वि जीम व्कपदंदबम इमबंउम चचसपबंइसम जव जीमैजंजम वि न्च

मबजपवद 5;2द्व वि ।बज वि 1999 तमके नदकमतरू.

धप;2द्व छवजुपजीजंदपदहेनेबी तमचमंसए दलजीपदह कवदम वत दल बजपवद जांमद नदकमत जीमपक व्कपदंदबम रीसस इम कममउमक जव रीअम कवदम वत जांमद नदकमत जीम बवततमेचवदकपदह चतवअपेपवदे वि जीपे ।बजण्

जीम चैपदह वि जीम तमेवसनजपवद इल जीम न्च मउइसल कवचजपदह जीम चतवअपेपवदे वि जीम व्कपदंदबमध।बज पे द बज कवदम नदकमत जीमपक व्कपदंदबम रीमदबमए चमत मबजपवद 5;2द्व वि जीम ।बज पज रीसस इम कममउमक जव रीअम इममद कवदम नदकमत जीम बवततमेचवदकपदह चतवअपेपवदे वि ।बज 15 वि 1999ण भ्मदबमए पद उल वचपदपवदए दव तिमै तमेवसनजपवद दममक इम चैमक इल जीम न्च मउइसल

इस प्रकार स्पष्ट है कि निरसन अध्यादेश, 1999 को अंगीकृत कर लिये जाने के परिणामरूप निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 5(2) अनुसार यह अधिनियम भी अंगीकृत माना जायेगा। इस प्रकार उपरोक्त संदर्भित निरसन, अधिनियम 1999 राज्य में प्रभावी है। तदनुसार अवगत होते हुए कृपया अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

भवदीय,  
**अतुल कुमार गुप्ता**  
सचिव

संख्या : 1228 / 9न0भू0-99-53 यू0सी0 / 99 टीसी तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, न्याय/ विधिपरामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, सूचना निदेशालय को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया उक्त निर्णय की जानकारी से सर्वसाधारण को समाचार पत्र के माध्यम से अवगत कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।
5. निदेशक, उद्योग/पदेन विशेष सचिव, आवास उद्योग निदेशालय कानपुर।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी/आवास मंत्री जी/राज्य मंत्री जी आवास विभाग।
7. स्टाफ आफिसर के मुख्य सचिव।
8. आवास विभाग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
9. शासन के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,  
**दीनदयाल**  
संयुक्त सचिव

---



भारत का राजपत्र  
**The Gazette of India**

असाधारण

**EXTRAORDINARY**

भाग II खण्ड 1

**PART II - Section 1**

प्राधिकार से प्रकाशित

**PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 20,

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 22, 1999 / चैत्र 1, 1921 (शक)

No. 20]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 22, 1999/ CHAITRA 1, 1921 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this in order that it may be filed as a separate compilation.

**MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS**

(Legislative Department)

New Delhi the 22nd March, 1999/ Chaitra 1, 1921 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 22nd March, 1999, and is hereby published for general information :

**"THE URBAN LAND (CEILING AND REGULATION) REPEAL**

**ACT, 1999**

(No. 15 OF 1999)

**[22nd March, 1999]**

An Act to repeal the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976.

Be it enacted by Parliament in the Fiftieth Year of the Republic of India follows :-

- 33 of 1976
1. (1) This Act may be called the Urban Land (Ceiling and Regulation) Repeal Act, 1999.
- (2) It applies in the first instance to the whole of the States of Haryana and Punjab and to all the Union territories; and it shall apply to such other State which adopts this Act by resolution passed in that behalf under clause (2) of article 252 of the Constitution. Short title application and commencement
- (3) It shall be deemed to have come into force in the State Haryana and Punjab and in all the Union territories; and it shall come into force on the 11th day of January, 1999 and in any other State which adopts this Act under clause (2) or article 252 of the Constitution on the date of such adoption; and the reference to repeal of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 shall, in relation to any State or Union territory, mean the date on which this Act comes into force in such State or Union territory,
2. The Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (hereinafter referred to as the principal Act) is hereby repealed. Repeal of Act 33 of 1976.

2- THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

Savings.

3. (1) The repeal of the principal Act shall not affect -
- (a) the vesting of any vacant land under sub-section (3) of section 10 possession of which has been taken over by the State Government or any person duly authorised by the State Government in this behalf or by the competent authority;
- (b) the validity of any order granting exemption under sub-section (1) of section 20 or any action taken thereunder notwithstanding any judgment of any court to the contrary;
- (c) any payment made to the State Government as a condition for granting exemption under sub-section (1) of section 20.

Where-

- (a) any land is deemed to have vested in the State Government under sub-section (3) of section 10 of the principal Act but possession of which has not been taken over by the State Government in this behalf or by the competent authority; and
- (b) any amount has been paid by the State Government with respect to such land.

then, such land shall not be restored unless the amount paid, if any, has been refunded to the State Government

Abatement of legal proceedings

4. All proceedings relating to any order made or purported to be made under the principal Act pending immediately before the commencement of this Act, before any court, tribunal or other authority shall abate:

Provided that this section shall not apply to the proceedings relating to sections 11, 12, 13, and 14 of the Principal Act in so far as such proceedings are related to the land, possession of which has been taken over by the State Government in this behalf or by the competent authority.

Repeal and saving

5. (1) The Urban Land (Ceiling and Regulation) Repeal Ordinance, 1999 is hereby repealed. Ord. 5 of 1999

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

**RAGHBIR SINGH,**  
Secy. to the Govt. of India

प्रेषक, श्री अतुल कुमार गुप्ता,

सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में, उपाध्यक्ष,

विकास प्राधिकरण,

मुजफ्फरनगर।

आवास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 17 अगस्त, 1999

**विषय : आर्किटेक्ट एक्ट - 1972 के प्राविधानों को लागू किया जाना।**

महोदय,

प्रशासनिक अधिकारी, काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है कि मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में कतिपय व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत तरीके से आर्किटेक्चर के रूप में कार्य किया जा रहा है जो कि अनुचित हैं अनुरोध किया है कि जनसाधारण के हितों की सुरक्षा तथा आर्किटेक्चर प्रोफेशन के संरक्षण हेतु इस पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाया जा आवश्यक हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर्किटेक्चर एक्ट-1972 एक केन्द्रीय कानून है तथा भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन के दिनांक (31 मई, 1972) से सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रभावी हैं। इस अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर का गठन किया गया है तथा धारा-37 के प्राविधानों के अन्तर्गत काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आर्किटेक्ट के टाईटिल के साथ कार्य करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत ऐसा करना एक दण्डनीय अपराध भी है। इसके अतिरिक्त काउन्सिल आफ आर्किटेक्ट से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट को सम्पूर्ण भारतवर्ष में आर्किटेक्ट के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य स्तर पर रजिस्ट्रेशन कराने अथवा लाईसेन्स लेने की भी आवश्यकता नहीं है।

3. कृपया अपने प्राधिकरण क्षेत्र में आर्किटेक्ट एक्ट-1972 के प्राविधानों को प्रभावी ढंग से लागू करायें तथा अनाधिकृत रूप से आर्किटेक्ट के रूप में प्रैक्टिस कर रहे व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराएं।

भवदीय,

**अतुल कुमार गुप्ता**

सचिव

सं. (1)/9-आ-3-1999 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. श्री के0 गोपाल कृष्ण भट्ट प्रशासनिक अधिकारी, काउन्सिल आफ आर्किटेक्चर, इण्डिया हैबीटाट सेन्टर, 6-ए, प्रथम तल, लादी रोड, नई दिल्ली को उनके पत्रांक सी.ए./28/99/ए.ई. दिनांक 27.3.99 जो मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन को सम्बोधित है, के संदर्भ में।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. प्रेसीडेंट, यू.पी. चैप्टर, इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ आर्किटेक्ट, 58- हजरतगंज लखनऊ।

आज्ञा से,

**यज्ञवीर सिंह चौहान**

विशेष सचिव